

वार्षिक प्रतिवेदन

2004–2005

के० सी० साहा
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

दूरभाष- 0612-2223496

फैक्स - 0612-2220857,
2237273

वेबसाईट - <http://bihar.nic.in>
<http://www.bihar.nic.in>

प्राक्कथन

ग्रामीण विकास विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2004-2005 में विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीणों के समेकित विकास के लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वित्तीय एवं भौतिक स्थिति के आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं ताकि जनसाधारण इन कार्यक्रमों की पारदर्शिता से अवगत हो सकें ।

वर्ष 1999-2000 में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धित कर प्रभावशाली बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया । इस कड़ी में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को अगले पांच वर्षों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाने की प्रतिबद्धता थी । वर्ष 2001-02 से ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्ति सृजन एवं श्रम रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण व्यस्क आवश्यकतानुसार श्रम रोजगार के अवसर का उपभोग कर सकते हैं । इस योजना की आधी राशि का संचालन प्रखंड एवं जिला स्तरीय पंचायत समिति द्वारा किया जाता है, एवं शेष राशि ग्राम पंचायतों को ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान है । ग्राम पंचायतों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उन्हें स्थानीय स्तर पर उपयोगी योजनाओं का चयन, वार्षिक योजनाओं की तैयारी, एक लाख रुपये तक के योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने की पूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गयी एवं इस निमित्त इन कार्यक्रमों की सम्पूर्ण राशि भी उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है । इंदिरा आवास योजना के तहत नये आवासों के सृजन के साथ-साथ पुराने आवासों का उन्नयन एवं ऋण और अनुदान नामक दो उप-योजनाएं जोड़ी गयीं । वर्ष 2004-05 कई दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण से भरा वर्ष रहा ।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के पंद्रह जिलों को नवम्बर 2004 से प्रारंभ होनेवाले राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के तहत अच्छादित किया एवं प्रथम किस्त के बतौर प्रत्येक जिला को 2.00 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई । फरवरी 2005 तक राष्ट्रीय काम के बदले अनाज इन जिलों को कुल 264.1154 करोड़ रुपये एवं 2.71 लाख मैट्रीक टन चावल का आवंटन किया गया ।

राज्य बाढ़ एवं सुखाढ़ के अभुतपूर्व प्रकोप, अराजपत्रित कर्मचारियों का दो माह तक हड़ताल एवं लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव से प्रभावित रहा । इन विषम परिस्थितियों में भी विभाग राज्य के ग्रामीणों के विपदा निवारण के सतत् अदम्य उत्साह से प्रयत्नशील रहा जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवास के पुनःनिर्माण हेतु 400.00 करोड़ रुपया एवं एस०जी०आर०वाई० के विशेष घटक के अन्तर्गत 1.84 लाख मैट्रीक टन चावल आवंटित की गई। सुखाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एस०जी०आर०वाई० के विशेष घटक के अन्तर्गत 2.00 लाख मे0 टन चावल का आवंटन की गई ।

बैंकों की सहभागिता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति प्रदान करने हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील रहा । वर्ष 2004-2005 में कई प्रशासनिक व्यवधानों के बावजूद प्रशंसनीय उपलब्धि मिली है, जिनमें से निम्न उल्लेखनीय है :-

1. केन्द्र प्रायोजित मुख्य योजनाओं के तहत वर्ष 2004-2005 के लिये 1372.64 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 1660.84 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये, जो वित्तीय लक्ष्य का 121 प्रतिशत है ।
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत उपलब्ध राशि का कुल 79.40 प्रतिशत व्यय किये गये । उसी प्रकार स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 76.10 प्रतिशत व्यय किये गए ।
3. विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिकाधिक राशि विमुक्त कराने का सघन एवं सतत् प्रयास किया जाता रहा है ।

दिनांक: 02.06.2005

के० सी० साहा,
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन कार्य से जुड़े कर्मियों की सूची

(1) विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी

- | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------|
| 1. | डॉ. जितेन्द्र कुमार सिन्हा | - | उप निदेशक (सांख्यिकी) |
| 2. | श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा | - | सहायक निदेशक(सांख्यिकी) |
| 3. | श्रीमती सीमा सिन्हा | - | सहायक निदेशक(सांख्यिकी) |

(2) योजनाओं से जुड़े कर्मचारी

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. | श्री रामजन्म सिंह | - | सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी |
| 2. | श्री नौशाद खां | - | कनीय सांख्यिकी सहायक |
| 3. | श्री प्रदीप कुमार | - | तदैव |
| 4. | श्री संजय कुमार सिन्हा | - | तदैव |
| 5. | श्री सुशील कुमार सिन्हा | - | तदैव |
| 6. | श्री अनिल चन्द्र प्रकाश | - | तदैव |

== xxx ==

विषय सूची

| <u>अध्याय</u> | <u>विषय</u> | <u>पृष्ठ संख्या</u> |
|---------------|--|---------------------|
| 1. | ग्रामीण विकास विभाग की संरचना, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समेकित उपलब्धियाँ | 1 - 3 |
| 2. | केन्द्र प्रायोजित योजनायें | |
| क. | स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना | 4 - 20 |
| ख. | सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | 21-35 |
| ग. | राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम | 36-40 |
| घ. | इन्दिरा आवास योजना | 41-56 |
| | अ- नया आवास | |
| | ब- उन्नयन आवास | |
| | स- ऋण एवं अनुदान | |
| ङ. | सुखाडोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम/हरियाली | 57-58 |
| च. | समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम | 59-60 |
| छ. | ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन | 61-62 |
| 3. | राज्य संपोषित योजनायें | |
| क. | प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) | 63-73 |
| 4. | केन्द्र संपोषित योजनायें | |
| क. | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 54 |
| 5. | परिशिष्ट | |
| 1. | वर्ष 2004-2005 का योजना उद्ध्यय, बजट उपबंध एवं योजना व्यय | 74 |
| 6. | संगठनात्मक ढाँचा | 75 |

अध्याय-1

ग्रामीण विकास विभाग की संरचना, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न योजनाओं की समेकित उपलब्धि

दशम् पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के प्रारम्भिक वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग गरीबी के उन्मूलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के निमित्त स्वरोजगार एवं श्रम रोजगार के अवसर एवं आवास मुहैया कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत संरचना सृजित करने के निमित्त विभाग निम्नांकित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य सम्पोषित योजना एवं केन्द्र सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन को त्वरित करने हेतु कटिबद्ध रहा :-

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

इन योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में व्यय भार के आधार पर होता है । समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय का वहन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 11:1 के अनुपात में किया जाता है । ऐसे कार्यक्रम निम्नांकित हैं:-

- (क) स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
- (ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- (ग) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- (घ) इन्दिरा आवास योजना
 - (अ)नया आवास
 - (ब)उन्नयन आवास
 - (स)ऋण और अनुदान
- (ङ) सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम
- (च) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
- (छ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन

राज्य सम्पोषित योजनाएँ

इस श्रेणी में वैसी योजनाएँ आती हैं, जिनका व्यय भार पूर्णतः राज्य सरकार वहन करती है । इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) का कार्यान्वयन हुआ है।

विभिन्न कार्यक्रमों की समेकित रूप से वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि सारणी-1.1 में दी गई है । भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त राशि का विवरण सारणी-1.2 में दृष्टव्य है ।

अध्याय-2

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

(क) स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर गरीबी रेखा से उपर उठाने के कालबद्ध प्रयास के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 75:25 की सहभागिता से कार्यान्वित इस योजना का प्रारम्भ दिनांक 01/04/99 से किया गया है। इसके तहत पाँच वर्षों में प्रत्येक प्रखंड के 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से उपर उठाने हेतु सतत् प्रयास करने की कटिबद्धता है। इसके अन्तर्गत पूर्व से चलाई जा रही आई0आर0डी0पी0, डवाकरा, ट्राइसेम, टूलकीट्स, जी0डब्लू0वाई0 एवं एम0डब्लू0एस0 को इस योजना में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की पात्रता के आधार पर क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्यम स्थापित किये जाते हैं, जिससे उन्हें आय का स्थायी साधन उपलब्ध हो सके एवं तीन वर्षों के अन्दर वे गरीबी रेखा से उपर लाये जा सकें। इस योजना के लक्षित वर्ग में सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत महिला तथा 03 प्रतिशत विकलांग के लिये आरक्षित है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस ढंग से होना है कि अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक प्रखंड के 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों का आच्छादन हो जाय।

वर्ष 2004-2005 में इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं:-

(राशि लाख रूपये में)

| | |
|--|-----------|
| (1) वित्तीय लक्ष्य | 16832.40 |
| (2) पूर्व की योजनाओं से उपलब्ध राशि | 6601.212 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 8202.760 |
| (ख) राज्यांश | 1434.240 |
| (ग) कुल | 9636.000 |
| (4) अन्य | 1415.767 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 17653.969 |
| (6) कुल व्यय | 13442.978 |
| (7) कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 76.15 |
| (8) वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 79.86 |
| (9) लाभान्वित स्वरोजगार | 103401 |
| (10) स्वयं सहायता ग्रुप गठित | 15765 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-2(क) से सारणी-2(ठ) में दृष्टव्य है । सारणी-2(ठ) से विदित हो कि भारत सरकार ने सभी 2 जिलों को छोड़कर द्वितीय किस्त, कुल 9496.79 लाख रूपये विमुक्त किया है । समतुल्य राज्यांश तथा गत वर्ष का अवशेष राज्यांश मिलाकर 1279.11 लाख रूपये विमुक्त किया गया है ।

(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

श्रम रोजगार सृजन करने वाली दो योजनाओं, यथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना का एकीकृत एवं परिवर्धित कर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन अक्टूबर-2001 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार की परिधि विस्तारित करते हुए ए.पी.एल. (गरीबी रेखा से उपर वाले परिवार) परिवारों को भी जिन्हें श्रम रोजगार करने की इच्छा हों, उन्हें रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा। केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है जिसके हथालन एवं परिवहन व्यय का भार राज्य सरकार पर होगा। इस योजना की प्रथम धारा, जो पूर्व की सुनिश्चित रोजगार योजना का परिवर्धित स्वरूप है का कार्यान्वयन जिला एवं प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति द्वारा होगा जबकि द्वितीय धारा जो पूर्व की जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का परिवर्धित स्वरूप है, का कार्यान्वयन ग्राम स्तरीय पंचायत समिति द्वारा होना है। वर्ष 2004-05 में इन दोनों धाराओं का मिलाकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना का उद्देश्य स्थायी स्वरूप के उत्पादकता वाली परिसम्पत्तियों तथा आर्थिक आधारभूत संरचना का सृजन एवं विकास करना है। वार्षिक कार्य योजना में भूमि एवं जल संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल से संबंधित, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई एवं सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी जैसे कार्यों को भी लिया जाना है। इस योजना के तहत मजदूर प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता देना है। जिलों को इस योजना के तहत राशि का आवंटन जिले के पिछड़ेपन के सूचकांक, जो अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या एवं प्रति कृषक कृषि उत्पादन के प्रतिलोम पर आधारित हो, के आधार पर किया जाता है।

इस योजना का कार्यान्वयन जिला परिषद के माध्यम से कराया जाता है। जिला स्तर पर प्राप्त कुल राशि के 40 प्रतिशत की राशि के अन्तर्गत योजनाओं का चयन जिला स्तर पर किया जाता है। जबकि शेष 60 प्रतिशत की राशि की योजनाएं पंचायत समिति/प्रखंड के स्तर पर चयनित योजनाओं पर खर्च की जानी है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन जिला परिषद के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाना है। इस योजना में ठेकेदार की बहाली नहीं की जानी है और ये सभी कार्य विभाग द्वारा कराया जाना है।

वर्ष 2004-2005 में इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत है :-

(राशि लाख रूपये में)

| | |
|----------------------------|-----------|
| (1) वित्तीय लक्ष्य | 62017.170 |
| (2) 1-4-2004 को अवशेष राशि | 14641.881 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 47282.720 |
| (ख) राज्यांश | 14050.000 |
| (ग) कुल | 61332.720 |
| (4) अन्य | 265.661 |

| | |
|---|-----------|
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 79932.172 |
| (6) कुल व्यय | 63479.623 |
| (7) उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 79.420 |
| (8) वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 102.36 |
| (9) कुल विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 103.50 |
| (10) कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या | 80623 |
| (11) कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में) | 605.321 |
| (क) अनुसूचित जाति के लिये सृजित श्रम दिवस | 286.935 |
| (ख) अनुसूचित जनजाति के लिये सृजित श्रम दिवस | 18.980 |
| (ग) अन्य के लिये सृजित श्रम दिवस | 299.406 |
| (घ) महिलाओं के लिये सृजित श्रम दिवस | 125.736 |
| (ङ) भूमिहीनों के लिये सृजित श्रम दिवस | 427.401 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 3(क) से सारणी 3(च) में दृष्टव्य है । सारणी-3(च) से विदित हो कि भारत सरकार ने 37 जिलों को प्रथम किस्त द्वितीय किस्त एवं 36 जिलों को अतिरिक्त राशि कुल 49196.29 लाख रूपये विमुक्त किया है । समतुल्य राज्यांश तथा गत वर्ष का अवशेष राज्यांश मिलाकर 14050.00 लाख रूपये विमुक्त किया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

अक्टूबर 2004 से केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम देश के 150 जिलों में प्रारंभ किया, जिसमें बिहार के 15 जिलों यथा अररिया, वैशाली, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, समस्तीपुर, शिवहर, कटिहार, जमुई, लक्खीसराय, मुंगेर, पुर्णियाँ, सूपौल एवं दरभंगा सन्निहित है। प्रत्येक जिलों को प्रथम किस्त के बतौर दो करोड़ रुपये नवम्बर 2004 में विमुक्त की गई। पुनः जिलों को कार्यक्रम की अवशेष राशि भी फरवरी 2005 में विमुक्त हुई। कुल 264.11 करोड़ रुपये की विमुक्ति की गई है। इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क 2.71 लाख में टन चावल का आवंटन की गई। जिसका परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। वर्ष 2004-05 की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् है :-

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 1. कुल उपलब्ध राशि | - | 264.11 करोड़ रु० |
| 2. कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय की गई राशि | - | 77.78 करोड़ रु० |
| 3. सृजित मानव दिवस | - | 5.49 करोड़ दिवस |
| 4. कुल ली गई योजना | - | 6114 |
| 5. कुल पूर्ण की गई योजना | - | 339 |
| 6. कुल आवंटित अनाज (चावल) | - | 2.71 लाख टन |
| 7. कुल उठाव की गई अनाज | - | 0.10 लाख टन |
| 8. कुल उपयोग की गई अनाज | - | 0.08 लाख टन |

(घ) इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गैर जनजाति को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत कम-से-कम साठ प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आवास उपलब्ध कराने पर खर्च करना है।

इंदिरा आवास योजना के तीन अव्यव हैं :-

- (अ) इंदिरा आवास (नव निर्माण योजना)
 - (ब) इंदिरा आवास (उन्नयन योजना)
 - (स) इंदिरा आवास (ऋण-सह-अनुदान योजना)
- (अ) इंदिरा आवास (नव निर्माण योजना) :- इस योजना के अंतर्गत 25000/- (पचीस हजार) रुपये प्रति यूनिट की लागत पर आवासों का निर्माण करना है।
- (ब) इंदिरा आवास (उन्नयन योजना) :- इस योजना के अंतर्गत वैसे घर जो रहने योग्य नहीं हैं, को अर्द्ध पक्का या पक्का घर में परिवर्तित करने के लिये गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे लाभान्वितों को 12500/- (बारह हजार पाँच सौ) रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- (स) इंदिरा आवास (ऋण-सह-अनुदान योजना) :- इस योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना अंतर्गत 32000/- (बत्तीस हजार) रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित करना है, जिसमें अधिकतम अनुदान 12500/- (बारह हजार पाँच सौ) रुपये तथा अधिकतम ऋण 50000/- (पचास हजार) रुपये तक दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में इंदिरा आवास एवं इसकी उप योजनाओं के अंतर्गत निम्नांकित उपलब्धियां हैं :-

(अ) इंदिरा आवास योजना (नये आवास)

| | (राशि लाख रुपये में) |
|---|----------------------|
| (1) वित्तीय लक्ष्य | 52102.792 |
| (2) 1-4-2004 को अवशेष राशि | 12506.650 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 40790.452 |
| (ख) राज्यांश | 9293.246 |
| (ग) कुल | 50083.698 |
| (4) अन्य राशि | 57.431 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 62647.779 |
| (6) कुल व्यय | 46850.493 |
| (7) उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 74.78 |
| (8) कुल विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 93.54 |
| (9) वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 89.92 |

| | |
|---|--------|
| (10) भौतिक लक्ष्य (इन्दिरा आवास) | 260514 |
| (11) कुल निर्मित आवास | 173662 |
| (12) अनुसूचित जाति के लिये निर्मित आवास | 99191 |
| (13) अनुसूचित जनजाति के लिये निर्मित आवास | 4782 |
| (14) अन्य के लिये निर्मित आवास | 69689 |
| (15) निर्माणाधीन आवास | 142809 |

(ब) इंदिरा आवास योजना(उन्नयन आवास)

(राशि लाख रूपये में)

| | |
|---|-----------|
| (1)वित्तीय लक्ष्य | 13025.698 |
| (2) 01.04.2004 को अवशेष राशि | 3620.790 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 9090.314 |
| (ख) राज्यांश | 1948.596 |
| (ग) कुल | 11038.910 |
| (4) अन्य | 9.678 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 14669.378 |
| (6) कुल व्यय | 10978.529 |
| (7) उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 74.84 |
| (8) कुल विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 99.45 |
| (9) वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 84.28 |
| (10) भौतिक लक्ष्य इंदिरा आवास | 130258 |
| (11) कुल उन्नयन आवास | 75171 |
| (12) अनुसूचित जाति को उन्नयन आवास | 40739 |
| (13) अनुसूचित जनजाति को उन्नयन आवास | 2558 |
| (14) अन्य को उन्नयन आवास | 31874 |
| (15) निर्माणाधीन उन्नयन आवास | 48899 |

(स) इंदिरा आवास योजना (ऋण-सह-अनुदान)

(राशि लाख रूपये में)

| | |
|--|----------|
| (1) 1-4-2004 को अवशेष राशि | 979.909 |
| (2) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 274.728 |
| (ख) राज्यांश | 69.826 |
| (ग) कुल | 344.554 |
| (3) कुल उपलब्ध राशि | 1324.463 |
| (4) कुल व्यय | 446.156 |
| (5) उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 33.69 |
| (6) कुल निर्मित आवास | 3193 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 5(क) से 5(ख), सारणी 6(क) से 6(ख), तथा सारणी 7 (क) से 7 (ख) में क्रमशः दृष्टव्य है । सारणी-6(ग) एवं 6(घ) से विदित हो कि भारत सरकार ने 37 जिलों को प्रथम किस्त, 36 जिलों को द्वितीय किस्त, 5% Spl. Compo. एवं बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता कुल मिलाकर (47948.5+281.25+31076.63) लाख रूपये विमुक्त किया है । समतुल्य राज्यांश तथा गत वर्ष का अवशेष राज्यांश मिलाकर (13089.705+93.75+10358.88) लाख रूपये विमुक्त किया गया है ।

(ड) सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम/हरियाली

सुखाड़ से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 से डी0पी0ए0पी0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो प्रभावित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में जल संसाधन का विकास एवं प्राकृतिक संतुलन बनाकर उन क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया। वर्ष 1995-96 से सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों में जलछाजन विकास पर आधारित एक नयी पद्धति अपनायी गयी है। इस कार्यक्रम का आच्छादन राज्य के छः जिलों में है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य की 75:25 के व्यय सहभागिता के आधार पर हो रहा है।

इस योजना के तहत वर्ष 2004-2005 में कुल 10.54 करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि के विरुद्ध 4.45 करोड़ रुपये की राशि का व्यय कर 363 जलछाजन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-8(क) में दृष्टव्य है। विदित हो कि भारत सरकार ने 6 जिलों को प्रथम किस्त हेतु कुल 229.50 लाख रुपये विमुक्त किया है। राज्य सरकार ने समतुल्य राज्यांश 104.065 लाख रुपये जिलों को विमुक्त किया है।

(च) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्लू०डी०पी०)

भूरक्षण रोकने एवं जल संसाधनों का विकास करने तथा अधिक बायोमास की उपलब्धि के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका व्यय केन्द्र/राज्य 11:1 के अनुपात में भारित है ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में 16 जिलों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है । उपलब्धि निम्नवत है :-

| | | (राशि लाख रू. में) |
|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | 1.4.2004 को अवशेष राशि | - 445.229 |
| 2 | विमुक्त | |
| | (क) केन्द्रांश - 434.630 | |
| | (ख) राज्यांश - 30.000 | |
| | (ग) कुल | - 464.630 |
| 3 | अन्य | - 2.338 |
| 4 | कुल उपलब्धि | - 912.197 |
| 5 | कुल व्यय | - 224.309 |
| 6 | अवशेष राशि | - 687.888 |

(छ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन

यह योजना ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यय के वहन हेतु शंकर समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वित है। इस योजना के तहत विभिन्न जिलों को उनके आकार के अनुरूप तकनीकी एवं दक्ष कर्मियों की व्यवस्था कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सुदृढ़ करना है ताकि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता 75:25 की है। वर्तमान मापदण्डों के अनुसार राज्य के जिले को 2004-2005 में 10.09 करोड़ रुपये केन्द्रांश विमुक्त हुआ, जिसके समतुल्य राज्यांश 3.93 करोड़ रु० विमुक्त हुआ।

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-10 में दृष्टव्य है। सारणी-9 से विदित हो कि भारत सरकार ने सभी जिलों को प्रथम किस्त एवं 25 जिलों को द्वितीय किस्त हेतु कुल 1009.17 लाख रुपये विमुक्त किया है। समतुल्य राज्यांश तथा गत वर्ष का अवशेष राज्यांश मिलाकर 392.532 लाख रुपये विमुक्त किया गया है।

अध्याय-3

राज्य संपोषित योजनाएँ

(क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) :- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दिनांक 01-04-2000 से राष्ट्र के ग्रामों में पाँच मूलभूत सुविधाओं यथा- आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण पथ की स्थिति में आशातीत प्रगति लाने के उद्देश्य से राज्य को उपलब्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ किया गया। बाद में ग्रामीण विद्युतीकरण नामक एक और अव्यय को इसके अन्तर्गत सन्निहित कर लिया गया। इस योजना के तहत ली जाने वाली आवास की योजनाओं का कार्यान्वयन भी इंदिरा आवास योजना के समरूप करने का प्रावधान है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आवास की इस योजना का भी इंदिरा आवास योजना के अनुरूप ही दो अव्यय हैं :-

(अ) ग्रामीण आवास के अन्तर्गत नव निर्माण तथा

(ब) ग्रामीण आवास का उन्नयन, जिसके अन्तर्गत वैसे कच्चे मकान जो रहने लायक नहीं हैं को पक्का एवं अर्द्धपक्का मकानों में परिवर्तित करने से संबंधित योजनाएँ हैं। इस योजना में नवनिर्माण के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये प्रति मकान एवं उन्नयन योजना के लिये 12,500/- (बारह हजार पाँच सौ) रूपये प्रति मकान दिया जायेगा। इसके अलावा इस योजना में धुआँ रहित चुल्हा तथा स्वच्छ शौचालय का प्रावधान होना आवश्यक है।

उक्त दो अव्ययों के अतिरिक्त उपबंधित राशि का 10 प्रतिशत पर्यावरण विकास पर व्यय करने का प्रावधान है।

(अ) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास - नये आवास)

राशि लाख रूपये में

| | |
|---|-----------|
| 1. 01.04.2004 को अवशेष राशि | 3694.803 |
| 2. कुल उपलब्ध राशि | 10699.679 |
| 3. कुल व्यय | 8001.128 |
| 4. उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 74.78 |
| 5. कुल निर्मित आवास | 33638 |
| (क) अनुसूचित जाति को उपलब्ध आवास | 18996 |
| (ख) अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध आवास | 712 |
| (ग) अल्पसंख्यकों को उपलब्ध आवास | 2267 |
| (घ) पिछड़ों को उपलब्ध आवास | 3320 |
| (ङ) अत्यंत पिछड़ों को उपलब्ध आवास | 3347 |
| (च) अन्य को उपलब्ध आवास | 4996 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-11(क) से सारणी-11(ख) में दृष्टव्य है। सारणी-11(ग) से विदित हो कि भारत सरकार ने सभी 37 जिलों को प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त हेतु कुल 8460.55 लाख रूपये विमुक्त किया गया है।

(ब) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास - उन्नयन)

| | <u>राशि लाख रूपये में</u> |
|---|---------------------------|
| 1. 01.04.2004 को अवशेष राशि | 907.740 |
| 2. कुल उपलब्ध राशि | 2581.449 |
| 3. कुल व्यय | 1936.022 |
| 4. उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत | 75.00 |
| 5. कुल निर्मित आवास | 15084 |
| (क) अनुसूचित जाति को उपलब्ध आवास | 8235 |
| (ख) अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध आवास | 360 |
| (ग) अल्पसंख्यकों को उपलब्ध आवास | 1009 |
| (घ) पिछड़ों को उपलब्ध आवास | 1446 |
| (ङ) अत्यंत पिछड़े को उपलब्ध आवास | 1575 |
| (च) अन्य को उपलब्ध आवास | 2459 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-12(क) से सारणी-12(ख) में दृष्टव्य है ।

अध्याय-4

केन्द्र संपोषित योजनाएँ

(क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना (एम0पी0लैडस) के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) को दो-दो करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके विरूद्ध सांसद द्वारा अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । वर्ष 2004-2005 में इस योजना की मुख्य उपलब्धि इस प्रकार है -

| | <u>राशि लाख रूपये में</u> |
|--|---------------------------|
| 1. वर्ष 2004-2005 के दरम्यान आवंटित राशि | 11300.000 |
| 2. दिनांक 01-04-2004 को अवशेष राशि | 15075.810 |
| 3. कुल उपलब्ध राशि | 26375.810 |
| 4. वर्ष के दरम्यान व्यय की गयी राशि | 11270.390 |
| 5. पूर्व वर्ष की निर्माणधीन योजनाएँ | 6271 |
| 6. वर्ष के दरम्यान ली गयी नयी योजनाएँ | 5219 |
| 7. वर्ष के दरम्यान कुल कार्यान्वित योजनाएँ | 11490 |
| 8. वर्ष के दरम्यान पूर्ण की गयी योजनाएँ | 4981 |
| 9. वर्ष के उपरांत कार्यान्वित हो रही योजनाएँ | 6509 |

सांसदवार विस्तृत विवरण सारणी-13 (क) से सारणी-13(घ) में दृष्टव्य है ।

वर्ष 2004-2005 का योजना उद्व्यय, बजट उपबंध एवं योजना व्यय

(राशि लाख रूपये में)

| क्र० | विभाग/प्रक्षेत्र | बजट | पुनरीक्षित | कुल व्यय |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| सं० | का नाम | उपबंध | उद्व्यय | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | एस०जी०एस०वाई० | 2000.00 | 1335.128 | 1335.128 |
| 2. | एस०जी०आर०वाई० (स्ट्रीम-I)-ई०ए०एस० | 12400.00 | 9075.420 | 4729.630 |
| 3. | ई०ए०एस० (स्ट्रीम-II)-जे०जी०एस०वाई० | | | 4345.790 |
| 4. | खाद्यान्नों के हथालन एवं परिवहन व्यय | 2000.00 | 899.120 | 899.120 |
| 5. | आई०ए०वाई० | 10100.00 | 6531.371 | 6531.371 |
| 6. | डी०पी०ए०पी० | 348.00 | 129.623 | 129.623 |
| 7. | पी.एम.जी.वाई. (ग्रामीण आवास) | 9523.15 | 8460.55 | 8460.550 |
| 8. | प्रखंड भवन | 550.00 | 0.00 | - |
| 9. | डी०आर०डी०ए० प्रशासन | 650.00 | 246.618 | 246.618 |
| 10. | स्थापना | 5455.00 | 6455.00 | 6049.79 |
| कुल योग: | | 43026.150 | 33152.830 | 32747.620 |

~~ !!! ~~